

पत्रांक ०२ सेरी०/लेखा/आयो० बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एल०डी०ए० कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,

विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।

दिनांक::लखनऊ:: ३ जून, 2017

आहरण वितरण अधिकारी

फतेहपुर, सोनभद्र, वाराणसी, झांसी।

रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-9/2017/171/74-2-2017-17(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन- 06-टसर रेशम विकास की योजना हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू० 56.60 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू० 23.58 लाख (रूपये तेईस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रू० 23,58,000.00 (रूपये तेईस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है :-


1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात् किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. मजदूरी मद में आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय मात्र चाकी कीटपालन एवं फार्मों के कर्षण कार्य हेतु ही किया जाएगा। चाकी कीटपालन हेतु प्रति 100 डी०एफ०एल्स० कीटपालन के लिये 03 (तीन) मानव दिवस की दर से व्यय किया जाना अनुमन्य होगा। शेष धनराशि रेशम फार्म के कर्षण कार्य पर व्यय की जाएगी।
6. मजदूरी मद में आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित मजदूरों को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
7. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
8. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह फरवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में

आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

10. निदेशालय के पत्र संख्या-4594-सी/सेरी0/तक0/कार्य योजना/2016-17 दिनांक 22.03.2017 के द्वारा निर्गत वर्ष 2017-18 की कार्य योजना में दर्शाये गये वृक्षारोपित क्षेत्रफल के अनुसार धनराशि का आवंटन किया गया है। सभी परीक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः वृक्षारोपित क्षेत्रफल का सत्यापन करते हुए वास्तविक वृक्षारोपित क्षेत्रफल के अनुसार व्यय सुनिश्चित करें। यदि वास्तविक वृक्षारोपित क्षेत्रफल कार्य योजना में उल्लिखित क्षेत्रफल से कम होता है तो बची हुई धनराशि निदेशालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें।
11. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 में दिये गये शर्तों /नियमों के अनुसार किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-टसर रेशम विकास की योजना के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-42 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


(कृपा शंकर पाण्डेय)
निदेशक(रेशम)

पत्रांक 62 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थानहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, फतेहपुर, सोनभद्र, झांसी, वाराणसी ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
6. वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
7. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


(पी0सी0 चौधरी)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक 06 /संरी0/लेखा/आय0 बजट/2017-18 दिनांक: 18 जून, 2017 का अनुलग्नक
अनुदान सं0- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -001-निर्देशन एवं प्रशासन

06-टसर रेशम विकास की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

क0 सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	02-मजदूरी	29-अनुरक्षण	42-अन्य व्यय	43-सामग्री और सम्पत्ति	योग	पूर्व में योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का योग	प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
1	सहायक निदेशक (रेशम)	महोबा	झांसी	2300	0	0	0	2300	0	2300
2	सहायक निदेशक (रेशम)	चित्रकूट	झांसी	19400	1000	1000	1600	23000	0	23000
3	सहायक निदेशक (रेशम)	बांदा	झांसी	9300	0	0	1000	10300	0	10300
4	सहायक निदेशक (रेशम)	झांसी	झांसी	143500	5800	4800	11700	165800	0	165800
5	सहायक निदेशक (रेशम)	ललितपुर	झांसी	43400	1900	1500	3600	50400	0	50400
	योग			217900	8700	7300	17900	251800	0	251800
6	सहायक निदेशक (रेशम)	सोनभद्र	सोनभद्र	906800	36800	29700	74200	1047500	0	1047500
7	सहायक निदेशक (रेशम)	फतेहपुर	फतेहपुर	52000	2100	1700	4300	60100	0	60100
8	सहायक निदेशक (रेशम)	मिर्जापुर	वाराणसी	92500	4000	3000	7600	107100	0	107100
9	सहायक निदेशक (रेशम)	चन्दौली	वाराणसी	771800	31400	25300	63000	891500	0	891500
	महायोग			2041000	83000	67000	167000	2358000	0	2358000

(धनराशि ₹0 में)

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(रूपये तेईस लाख अठ्ठावन हजार मात्र)


(पी0सी0चौधरी)

वित्त नियंत्रक